पत्रांक 15/सी 2–157/2009 – 1148
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

एजाज शोएब हासमी,
अवकाश रक्षित पदाधिकारी।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक 17/6/ 2015

विषयः– एम0जे0सी0 संख्या 4685/2011 मो0 हबीब बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1092 दिनांक 12.06.2015 के क्रम में कहना है कि उक्त पत्र द्वारा अवमाननावाद संख्या 4685/2011 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी मो0 हबीब के अनुमान्य दावों का भुगतान सशर्त्त किए जाने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया है। उक्त के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन अब तक विभाग को अप्राप्त है।

अतएव मामले की गंभीरता के मद्देनजर वादी के दावों का विश्वविद्यालय में उपलब्ध राशि से अविलम्ब भुगतान करते हुए विभाग को तुरंत प्रतिवेदित करें। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(एजाज शोएब हासमी)
अवकाश रक्षित पदाधिकारी